न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 250/2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जेठुसिंह पुत्र पन्नेसिंह 2. गोपालसिंह पुत्र पन्नेसिंह 3. दुर्जनसिंह पुत्र पनेसिंह 4. राजुसिंह पुत्र पनेसिंह 5. सायरकंवर पुत्री पन्नेसिंह 6. श्रीमती दरियाकंवर पत्नी पनेसिंह जाति राजपूत निवासी लीलनगर, भाचभर, तहसील रामसर, जिला बाडमेर।		1. भगवानसिंह पुत्र अगरसिंह जाति राजपूत निवासी लीलनगर– भाचभर तहसील रामसर। 2. तहसीलदार रामसर।

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला बाडमेर

धारा 251 A 1 की उपधारा RT ACT 1955 के तहत अनुमति रास्ता आवेदन पत्र।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 11.02.2026

प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जे की जोत में जाने हेतु अन्य खातेदारी काश्तकार की जोत में से होकर नया मार्ग खुलवाना चाहते हैं प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 530/514 के मध्य विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 499/81 आया हुआ हैं प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 530/514 में पूर्व में परिशिष्ट "अ" नक्शा में बरंग लाल से दर्शित मार्क के अनुसार आता जाता था लेकिन वर्तमान समय में विप्रार्थी संख्या 1 ने अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 499/81 जिसमें बरंग लाल दर्शित मार्ग के अनुसार प्रार्थीगण के आने जाने का रास्ता बंद करने की पूरी संभावना हैं। ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्तावित नया मार्ग 50 वर्षो से उपयोग में ले रहे हैं इसलिए मार्ग खुलवाने के लिए 251 ए उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत यह प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2025 को इस न्यायालय में पेश किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण की तामिली की गई बाद तामिली विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता महेन्द्रसिंह सोढ़ा उपस्थित हुए लेकिन आज तक पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया गया लिहाजा विप्रार्थी संख्या 1 का जवाब बंद किया जाता हैं। तथा उक्त रास्ते से संबंधित तहसीलदार रामसर से मौका रिपोर्ट चाही गई जो तहसीलदार रामसर द्वारा रीडर/2025/2894 दिनांक 09.12.2025 को तैयार कर इस न्यायालय में दिनांक 17.12.2025 को प्राप्त हुई। तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की ढ़ाणियां मौजा लीलनगर के खसरा नम्बर 530/514 में बनी हुई हैं। प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 529/514 रकबा 0.1893 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की हुई हैं जो रास्ते के उपयोग में आ रही हैं प्रार्थीगण की ढ़ाणियों तक पहुँचने हेतु खातेदारी मार्ग खसरा संख्या 499/81 रकबा 3.3751 हैक्टेयर में से होकर जाता हैं। मौजा लीलनगर के खसरा संख्या 499/81 मे रकबा 0.1212 हैक्टेयर भूमि संलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार नियमानुसार रास्ते हेतु आवश्यक प्रतीत होना पाया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:36 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभ्यपक्ष अधिवक्ता की मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पर गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया बाद अवलोकन तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता घोषित करने में इस न्यायालय को कोई आपति प्रतित नहीं होती हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रामसर

Scanned with OKEN Scanner

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा लीलनगर, पटवार मण्डल भाचभर, तहसील रामसर में अवस्थित प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 530/514 भूमि तक आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 499/81 रकबा 3.3751 हैक्टेयर में से रकबा 0.1212 हैक्टेयर अर्थात 1212 वर्गमीटर संलग्न मौका रिर्पोट मय नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता घोषित किया जाता हैं।

यह आदेश तब ही क्रियान्वित होगा, जब प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित खातेदारान विप्रार्थी संख्या 1 को आवश्यक रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु संबंधित ग्राम की वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि विप्रार्थी संख्या 1 के खाते में या तहसीलदार रामसर के राजकोष में जमा करावें। तदनुसार तहसीलदार रामसर राजस्व रिकॉर्ड एवं लटठा नक्शा में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। संलग्न तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिर्पोट मय नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज **11.02.2026** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला बाड़मेर

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

दिनांक :– 11/02/2026

कमांक : रीडर/2026/ 45-47

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर को निर्णय की प्रति भेजकर लेख हैं कि निर्णय की पालना की जाकर पालना रिर्पोट से इस न्यायालय को अवगत करावे।
2. प्रार्थीगण जेठुसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी लीलनगर तहसील रामसर को सूचनार्थ।
3. विप्रार्थीगण भगवानसिंह पुत्र अगरसिंह जाति राजपूत निवासी भाचभर तहसील रामसर सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तावित नक्शा
मौजा - [illegible]लीलनगर
पैमाना - 1 सेमी = 800 मी

राजस्व वाद सं. 250/2025
251 ए
जेठूसिंह वगैरह बनाम भगवानसिंह वगैरह

कुल प्रस्तावित रास्ता
303 m × 4 m = 1212 m²

संकेत
= राजस्थान सरकार समर्पित
= रास्ता हेतु प्रस्तावित (रास्ता)
= राजस्व ग्राम लीलनगर भाचपर
= मौके पर गोचर कदीमी रास्ता

उदयसिंह
जेठूसिंह
दुर्जनसिंह
स्वरूपसिंह
दलपत सिंह
19/11/18

उपखण्ड अधिकारी
रामसर जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
रामसर

पटवारी
रामसर

तहसीलदार, रामसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner